न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर—खीरी।
वाद संख्या—60/19
सी0एन0आर0नं0—यू0पी0 एल0पी0—

रूखसार बानों बनाम वली हबीब आदि

निस्तारण प्रार्थना—पत्र 156(3)दं0प्र0सं0

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई । प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना—पत्र अं0धारा—156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का दिया गया है कि दिनॉक 28—11—2018 की शाम को विपक्षीगण ने प्रार्थिनी को मारा पीटा तथा मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया व प्रार्थिनी का समस्त स्त्रीधन , जेवर कपड़ा छीनकर प्रार्थिनी को घर से भगा दिया । विपक्षीगण ने प्रार्थिनी के पति को दिनांक 21—11—2018 को ही कही गायब कर दिया है तथा प्रार्थिनी व उसके घर वालों को फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थिनी आज भी अपने पति व ससुराल वालों के साथ रहना चाहती है। प्रार्थिनी ने घटना के सम्बन्ध में थाने में व पुलिस अधीक्षक तथा अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना—पत्र दिया फिर भी कोई कार्यवाही नही हुई।

प्रार्थिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, व पुलिस अधीक्षक, व अन्य उच्चाधिकारियों को दिये गये प्रार्थना—पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद,व फोटोग्राफ ,शपथ—पत्र व निकाहनामा की प्रति प्रस्तुत किया है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

सुना एवं प्रार्थना—पत्र में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया गया।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में कहा गया है कि विपक्षीगण ने प्रार्थिनी को मारा पीटा तथा मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया व प्रार्थिनी का समस्त स्त्रीधन , जेवर कपड़ा छीनकर प्रार्थिनी को घर से भगा दिया । प्रार्थिनी आज भी अपने पति व ससुराल वालों के साथ रहना चाहती है। मामले के समस्त तथ्य प्रार्थिनी के संज्ञान में है, जिसे प्रार्थिनी साक्ष्य के माध्यम से स्वयं सिद्ध कर सकती है। **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए0 सी0 सी0 2007 (59) पेज 739** में दी गयी विधि व्यवस्था के प्रकाश में मामले को परिवाद के रूप में चलाया जाना उचित होगा। प्रार्थना—पत्र परिवाद के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र0 संहिता परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते बयान धारा 200 दं0प्र0 संहिता दिनांक 03—5—2019 को पेश हो। पत्रावली सक्षम न्यायालय को अन्तरित की जाय।

दि0 02—4—2019

सी.जे.एम.
खीरी।